# FIRST INFORMATION REPORT
## प्रथम सूचना रिपोर्ट
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला ..........चूरू......... थाना.......प्रधान आरक्षी केंद्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर......वर्ष 2023.......
   प्र.इ.रि.सं. 239/2023........ दिनांक 05.09.2023
2. (I) अधिनियम...भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा.7,13(1)(क),13(2)
   (II) अधिनियम........................भादस...................... धारा...................120बी...................
   (III) अधिनियम.........................–....................... धारा..................–.....................
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं ................................–.................................
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 95 समय 6.30 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन.................24.12.2020 से 01.02.2021..................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ........................समय.....................
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– पश्चिम दूरी 65 किलोमीटर।
   (ब) पता:– जीएसएस भानुदा
   बीटसंख्या....................जयरामदेही सं..
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.......जिला ......
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री शब्बीर खान
   (ब) पिता/पति का नाम :– –
   (स) जन्म तिथि/आयु वर्ष :– –
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ............जारी होने की तिथि......जारी होने की जगह .................
   (र) व्यवसाय :– .......... ....
   (ल) पता ... ...........उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चूरू ..........
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   (1) श्री रोहित कुमार अलारिया मुख्य व्यवस्थापक, कय विकय सहकारी समिति लि. रतनगढ जिला चूरू।
   (2) श्री देवेन्द्र कुमार व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति भानुदा तह0 रतनगढ जिला चूरू।
   (3) श्री गजानन्द सिहाग पुत्र श्री बुधरमल जाट निवासी भूखरेडी तह0 रतनगढ जिला चूरू मालिक फर्म गजानन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी।
   (4) अन्य।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई विलम्ब नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ........1,05,06,903रूपये .......................
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .........................................................................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक(परि0), मुख्यालय जयपुर के पत्रांक 6661–63 दिनांक 16.06.2023 से प्राप्त परिवाद व दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि वर्ष 2020–21 में श्री रोहित अलारिया मुख्य व्यवस्थापक, रतनगढ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 रतनगढ के पद पर पदस्थापित था। रतनगढ क्रय–विक्रय सहकारी समिति के कार्यक्षैत्र के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति (सहकार मित्र) उप केन्द्र भानुदा, परसनेउ एवं अन्य आते हैं। तत्समय जीएसएस भानुदा में व्यवस्थापक के पद पर श्री देवेन्द्र कुमार कार्यरत था। वर्ष 2020–21 में राजफैड के दिशानिर्देशानुसार सहकारी समिति के माध्यम से समर्थन मूल्य पर मूंगफली क्रय की जानी थी। जिसके क्रम में क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ व उसके अधिकार क्षैत्र में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा भी सहकार मित्र के रूप में कार्य करते हुऐ किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की गई। उक्त समर्थन मूल्य पर मूंगफली क्रय के सम्बधं में श्री रोहित अलारिया मुख्य व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. रतनगढ अपने अधीन खरीद उप केन्द्र भानुदा, परसनेउ एवं अन्य पर पर्यवेक्षक अधिकारी थें। उक्त खरीद उप केन्द्र / सहकार मित्र के व्यवस्थापको एवं रोहित अलारिया के मध्य अलग–अलग इकरारनामें भी निष्पादित किये गये थें। ग्राम सेवा सहकारी समित एवं सहकार मित्र / खरीद उप केन्द्र भानुदा के व्यवस्थापक श्री देवेन्द्र कुमार एवं श्री रोहित अलारिया मुख्य व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. रतनगढ के मध्य भी भानुदा उपकेन्द्र पर समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के सम्बधं में एक इकरारनामा दिनांक 09.12.2020 को किया गया था। उक्त इकरारनामा के बिन्दु संख्या 13 के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति भानुदा के द्वारा क्रय की गई जिन्स को भण्डार गृह / वेयर हाउस जमा करवाकर मूल रसीदें क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ में जमा करवानी थी तथा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 रतनगढ को उक्त रसीदें राजफैड को भिजवाई जानी थी। बिन्दु संख्या के अनुसार 18 के भानुदा उप केन्द्र को मूंगफली क्रय करने हेतु बारदाना क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ द्वारा उपलब्ध करवाया जाना था। बिन्दु संख्या 21 के अनुसार भानुदा उप केन्द्र द्वारा क्रय की गई मूंगफली वेयरहाउस में जमा करवाये जाने की मूल रसीदें क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ को जमा करवानी थी तथा उक्त के हिसाब का मिलान करना था। बिन्दु संख्या 22 के अनुसार हैण्डलिग एवं परिवहन पर व्यय के बिल भी उपकेन्द्र भानुदा द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ को प्रस्तुत करने थे। बिन्दु संख्या 24 के अनुसार समर्थन मूल्य पर क्रय की जाने वाली मूंगफलियों की क्रय दर का 0.60 प्रतिशत हिस्सा ग्राम सेवा सहकारी समिति भानुदा को व 0.40 प्रतिशत हिस्सा क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ को मिलना था। बिन्दु संख्या 25 के अनुसार सहकारी विभाग के प्रत्येक अधिकारी को उक्त प्रकार के सहकार मित्र खरीद केन्द्र के रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं सत्यापन करने का अधिकार था। बिन्दु संख्या 26 के अनुसार क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ द्वारा सहकार मित्र भानुदा द्वारा की जा रही सम्पूर्ण खरीद कार्य का समय–समय पर निरीक्षण किया जाना, जिसमें खरीद प्रकिया, जिन्स की किश्त, भण्डार गृह में जमा जिन्स का मिलान, स्टॉक का भौतिक सत्यापन एवं हिसाब / रिकॉर्ड का सत्यापन शामिल था।

ग्राम सहकारी समिति उप केन्द्र परसनेउ एवं भानुदा द्वारा वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर क्रय की जाने वाली मूंगफली के हैण्डलिंग एवं उप केन्द्रो से राजकीय वेयर हाउस में जमा करवाने का कार्य फर्म गजानन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया था। उप

केन्द्रो पर उक्त कार्य को करवाने के लिए उक्त फर्म के प्रतिनिधि श्री प्रमोद काजला व राकेश कुमार कार्य कर रहे थें। उक्त फर्म को समर्थन मूल्य पर क्रय की गई मूंगफली अपने ट्रको से परिवहन कर वेयर हाउसों में जमा करवाकर रसीद उप केन्द्र/राजफैड को प्रस्तुत करनी थी। जिसके आधार पर सम्बंधित किसान को भुगतान होना था। उप केन्द्र भानुदा पर दिनांक 24.12.2020 से दिनांक 01.02.2021 तक समर्थन मूल्य 5275रूपये प्रति क्वि0 के हिसाब से राजफैड के पोर्टल पर रजिस्टर्ड 137 किसानो की कुल 3508.05 क्वि0 मूंगफली क्रय की गई। उक्त क्रय की गई मूंगफली में से विभिन्न दिनाकों को उक्त फर्म द्वारा कुल 1516.22 क्वि0 मूंगफली विभिन्न वेयर हाउसों में जमा करवा दी, शेष 1991.83 क्वि0 मूंगफली उप केन्द्र भादुदा से तो आरोपी फर्म गजानन्द क.क. ने प्राप्त कर ली किन्तु वेयर हाउसों में जमा न करवाकर बाजार में विक्रय कर खुर्द–बुर्द कर 1,05,06,903रूपये का गबन कर लिया जिससे 87 किसानों को राजफैड द्वारा भुगतान नही किया गया। उक्त फर्म के द्वारा यदि वेयर हाउसों में मूंगफली जमा करवाई जाती तो राजफैड द्वारा उक्त राशि का भुगतान 87 शेष रहे किसानों को किया जाता।

ग्राम सेवा सहकारी समिति भानुदा पर मूंगफली खरीद प्रक्रिया दिनांक 24.12.2020 से 01.02.2021 तक हुई थी। उक्त खरीद प्रक्रिया के दौरान श्री रोहित अलारिया मुख्य व्यवस्थापक, रतनगढ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 रतनगढ को समय–समय पर डे–क्लोजर रिपोर्ट प्राप्त नही होने के बावजूद, खरीद प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद डब्लू आर, परिवहन, हैण्डलिगं बिल, शेष बारदाना व्यवस्थापक द्वारा जमा नही करवाने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त श्री रोहित अलारिया द्वारा भानुदा ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा खरीद की गई मूंगफली के गबन में जानबुझकर अनदेखी करते हुऐ अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया गया हैं। भानुदा केन्द्र पर खरीद प्रक्रिया दिनांक 01.02.2021 को बंद हो चुकी थी। विभाग के नियमानुसार के.वी.एस.एस. द्वारा जी.एस.एस. को बारदाना ईश्यू किया गया था। खरिद प्रक्रिया के बाद जो बारदाना जी.एस.एस. के पास शेष रहा व जी.एस.एस. भानुदा द्वारा के.वी.एस.एस. रतनगढ को जमा करवाना था परन्तु श्री रोहित अलारिया मुख्य व्यवस्थापक, रतनगढ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 रतनगढ द्वारा इस बारे में कोई ध्यान नही दिया तथा ना ही उक्त बारदाना के सम्बधं में कोई रिकॉर्ड रखा गया था।

सहकारिता विभाग के द्वारा जारी की गई गाईड लाईन व विभागीय नियमानुसार दैनिक खरीद का ज्यादा से ज्यादा 3 दिवस में किसानो का माल स्टॉक भण्डारण करके शीट अपूर्व करनी चाहिए थी। जबकि इस और न तो देवेन्द्र कुमार व्यवस्थापक भानुदा कोई ध्यान दिया गया तथा ना ही रोहित कुमार अलारिया मुख्य व्यवस्थापक द्वारा सुपरविजन किया गया। किसानों को मूंगफली तुलाई के समय कम्प्युटर से ऑन लाईन जारी होने वाली विक्रय पर्चियों का विवरण श्री रोहित अलारिया द्वारा ऑन लाईन विभाग की साईट पर देखा जा सकता था। उप केन्द्रो पर खरिद प्रक्रिया के दौरान सुपरविजन का कार्य श्री रोहित अलारिया के जिम्मे होने के बावजुद भी श्री रोहित अलारिया के द्वारा खरिद प्रक्रिया के दौरान ना तो कोई पत्राचार जीएसएस को किया गया और ना ही उच्चाधिकारियों को किया गया। पुलिस थाना रतनगढ में इस सम्बध में प्रकरण दर्ज होने के बाद श्री रोहित अलारिया के द्वारा जीएसएस को शेष बारदाना, डब्लू आर जमा करवाने बाबत लगातार पत्राचार किया गया जो महज स्वयं के बचाव में किया गया हैं। इससे स्पष्ट है कि रोहित अलारिया मुख्य व्यवस्थापक के द्वारा मूंगफली खरीद प्रक्रिया के दौरान जानबुझ कर सही सुपरविजन नही कर आपराधिक कार्य में सहयोग किया हैं। ग्राम सहकारी समिति उप केन्द्र परसनेउ एवं भानुदा द्वारा वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर क्रय की जाने वाली मूंगफली के हैण्डलिंग एवं उप केन्द्रो से राजकीय वेयर हाउस में जमा करवाने का कार्य फर्म गजानन्द कन्सट्रक्शन कम्पनी को दिया गया था। उक्त फर्म के द्वारा 1991.83 क्वि0

सर्वेश

मूंगफली उप केन्द्र भादुदा से तो प्राप्त कर ली किन्तु वेयर हाउसों में जमा न करवाकर बाजार में विक्रय कर खुर्द–बुर्द कर 1,05,06,903रूपये का गबन कर लिया जिससे 87 किसानों को राजफैड द्वारा भुगतान नही किया गया। उक्त फर्म के द्वारा यदि वेयर हाउसों में मूंगफली जमा करवाई जाती तो राजफैड द्वारा उक्त राशि का भुगतान 87 शेष रहे किसानों को किया जाता।

**इस प्रकार आरोपीगण श्री रोहित अलारिया मुख्य व्यवस्थापक, कय विकय सहकारी समिति लि. रतनगढ व श्री देवेन्द्र कुमार व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति भानुदा ने अपने कर्तव्य का अनुचित एवं बेईमानी से कार्य पालन करते हुऐ अपने–अपने पदो का दुरूपयोग कर श्री गजानन्द सिहाग पुत्र श्री बुधरमल जाट निवासी भूखरेडी तह0 रतनगढ जिला चूरू मालिक फर्म गजानन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एवं फर्म के अन्य प्रतिनिधियों से मिलीभगत करते हुऐ जीएसएस भानुदा पर दिनांक 24.12.2020 से दिनांक 01.02.2021 तक रजिस्टर्ड 137 किसानो की कुल 3508.05 क्वि0 मूंगफली कय कर स्वयं को न्यस्त एवं नियन्त्रणाधीन मूगफली 1991.83 क्वि0 मूंगफली वेयर हाउसों में जमा न करवाकर बाजार में विक्रय कर खुर्द–बुर्द कर 1,05,06,903रूपये का गबन कर लिया जिससे 87 किसानों को राजफैड द्वारा भुगतान नही किया गया। इस प्रकार श्री रोहित अलारिया मुख्य व्यवस्थापक, देवेन्द्र कुमार व्यवस्थापक व श्री गजानन्द सिहाग मालिक फर्म गजानन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एवं अन्य के द्वारा धारा 7,13(1)(क) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भादस का अपराध कारित करना प्रथम दृष्ट्या पाया गया हैं।**

अतः श्री रोहित अलारिया मुख्य व्यवस्थापक, कय विकय सहकारी समिति लि. रतनगढ जिला चूरू, श्री देवेन्द्र कुमार व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति भानुदा तह0 रतनगढ जिला चूरू, श्री गजानन्द सिहाग मालिक फर्म गजानन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एवं अन्य के विरूद्ध धारा 7,13(1)(क) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भादस में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(शब्बीर खान)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,13(1)(क),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं. में अभियुक्तगण 1. श्री रोहित कुमार अलारिया मुख्य व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 रतनगढ़ जिला चूरू 2. श्री देवेन्द्र कुमार व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति भानुदा तह0 रतनगढ़ जिला चूरू 3. श्री गजानन्द सिहाग, निवासी भूखरेडी तहसील रतनगढ़ जिला चूरू मालिक फर्म गजानन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 239/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई।

5/9/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2712-16 दिनांक 05.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अध्यक्ष ग्राम सेवा समिति लि0 भानूदा तहसील रतनगढ़ जिला चूरू।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

5/9/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।